राजस्थान राज्य
बनाम
राम नारायण व अन्य।
जनवरी 23, 1996
{न्यायमूर्तिगण के. रामास्वामी, एस. सगीर अहमद व जी.बी. पटनायक,}

दंड संहिता, 1860

धारा 342, 361, 366, 376-नाबालिग लड़की-सदोष परिरोध और बलात्कार-विचारण-तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई-उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को बितायी गयी अवधि तक कम कर दिया-अपील पर, पीड़िता को नाबालिग मानते हुए, सहमति का सवाल ही नहीं उठता-पहले आरोपी द्वारा बलात्कार साबित है-साथ ही आरोपी को झूंठा नहीं फॅसाया गया क्योंकि पीड़िता ने अकेले पहले आरोपी द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया था-उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द किया गया-पहले आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया-धारा 376 के तहत पॉच साल की सश्रम कारावास की सजा और 2,000 रूपये का जुर्माना पीड़िता को देना होगा-सभी तीनों आरोपियों को धारा 366 के तहत पॉच साल की कैद और धारा 342 के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नं0-189/1996

एस.बी.क्रि. अपील नं0-351/1984 में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 18.12.91 के निर्णय और आदेश से ।

अपीलकर्ता की ओर से-के.एस. भाटी

प्रतिवादी की ओर से-सुशील कुमार जैन

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

अनुज्ञा स्वीकृत।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

यह दिलचस्प है कि विद्वान न्यायाधीश ने तीन प्रतिवादियों, राम नारायण, बजरंग लाल और मंजा राम की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 366 और 342 के अपराधों के लिए राम नारायण के सम्बंध में एवं धारा 366, 342 भा0 दं0 सं0 के अपराधों के लिए प्रतिवादी सं0-2 और 3 के सम्बंध में उनकी सजा को बितायी गयी अवधि तक घटाकर, अर्थात् डेढ़ महीने की। उच्च न्यायालय द्वारा सजा कम करने के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था।

तथ्य यह है कि 14 अगस्त, 1983 को जब 15 से 17 साल की पीडिता अनूप देवी अपने चाचा के घर से अपने माता-पिता के घर आ रही थी, तो इन आरोपियों ने उसे यह विश्वास दिलाने के लिए लुभाया कि सभी महिलाएॅ सर्कस जाने के लिए गांव के बाहर इकट्ठी हुई थी और वह उनके साथ चलने के लिए प्रेरित किया। उनके बयान पर मासूमियत से विश्वास करते हुए, वह उनके साथ बाहरी इलाके में गई, लेकिन वहॉ महिलाएॅ नहीं मिली। उसे चाकू की नोंक पर सिरोहा नाम के दूसरे गांव ले जाया गया और वहॉ से एक ट्रक में जयपुर ले जाया गया। जयपुर में उसे गलत तरीके से एक घर में कैद कर दिया गया। जयपुर से उसे मूर्तिपुरा ले जाया गया, जहॉ पहले आरोपी-प्रतिवादी ने उसके साथ यौन सम्बंध बनाए। उसे गलत तरीके से उस घर में कैद कर दिया गया था। वहॉ से उसे वापस उसके गांव लाया गया और पहले आरोपी के घर में कैद कर दिया गया। इसका पता चलने पर पीड़िता के पिता (पी.डब्ल्यू-3) ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने उसे पहले आरोपी के घर से बरामद कर लिया।

मुकदमें में, पॉच गवाहों, अर्थात्, पीड़िता (पी.डब्ल्यू.-1), उसकी मॉ और पिता (पी.डब्ल्यू-2 और 3) और पड़ोसियों (पी.डब्ल्यू-4 और 5) को परीक्षित कराया गया। सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने और पी.डब्ल्यू.-1 पीड़िता, उसकी मॉ और पिता (पी.डब्ल्यू-2 और 3) और पड़ोसियों (पी.डब्ल्यू-4 और 5) के साक्ष्य पर विश्वास करने के बाद, पहले आरोपी को धारा 376, 366 और 342 आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे क्रमशः सात साल, पॉच साल और एक साल के कारावास की सजा सुनाई और 200 रूपये का जुर्माना भी लगाया। इसी तरह, दूसरे और तीसरे आरोपी को आई.पी.सी. की धारा 366 और 342 के तहत दोषी ठहराया गया और क्रमशः पॉच साल और एक साल के कारावास की सजा सुनाई

गई। सभी सजाएॅ साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था। आरोपी-प्रतिवादियों द्वारा मामले में अपील की गई। विद्वान न्यायाधीश ने माना था कि अभिलेख पर मौजूद सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे बिना किसी जगह के अपना मामला स्थापित किया है। हालांकि, उन्होंने सजा कम कर दी और अपील की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि पहले आरोपी की उम्र यानी 18 साल है और डेढ़ महीने की सजा जो वह पहले ही काट चुका है, न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, विद्वान न्यायाधीश ने माना कि यदि सजा को उनके द्वारा पहले से ही बिताई गई अवधि तक कम कर दिया जाता है तो न्याय मिलेगा।

श्री सुशील कुमार जैन-(प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता)

दलील दी गयी कि खुद पीड़िता के साक्ष्य को देखते हुए उच्च न्यायालय का सजा कम करना उचित था। वह एक सहमति देने वाली पक्ष है और स्वतंत्र पुष्टि के बिना, उसके साक्ष्य संदिग्ध होंगे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह अपराध 14 अप्रैल, 1983 को हुआ था और पीड़िता के पिता ने 13 मई, 1983 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जो कि घटना के एक महीने बाद की है। इस बात की संभावना नहीं है कि अगर वह सहमति देने वाली पक्ष नहीं होती तो अपहरण के तुरन्त बाद रिपोर्ट दर्ज की गई होती। पी.डब्ल्यू.3 ने बेटी को एक महीने तक पहले आरोपी के साथ रहने की अनुमति दी और माता-पिता ने कोई कार्यवाही नहीं की, आचरण अभियोजन पक्ष के खिलाफ इंगित करेगा और यह कि प्रतिवादी का अपराध करने का कोई इरादा नहीं था और पीड़िता (पी.डब्ल्यू-1) एक सहमति पक्ष है। हम पीड़िता के रूख की सराहना करने में विफल रहते है, जो डाक्टर (पी.डब्ल्यू-5) के साक्ष्य से साबित होता है कि वह नाबालिग है, जिसकी उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच है। वह गांव की मासूम लड़की है। उसके साक्ष्य से, हम आंतरिक सत्य पाते है, और वह एक सच्ची गवाह है। उसके साक्ष्य की पुष्टि की आवष्यकता नहीं है। प्रत्येक मामले में न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य स्वीकृति के लिए विश्वास को प्रेरित करते है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों और परिस्थितियों में माना जाना चाहिए। वास्तव में पी.डब्ल्यू.1 का इरादा सभी आरोपियों को झूठा फॅसाने का था, तो उसे यह बताने से किसी ने नहीं रोका कि दूसरे और तीसरे आरोपी ने भी उसके साथ संभोग किया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश उसकी स्पष्टता से बहुत प्रभावित हुए जब उसने यौन संभोग के कृत्य के लिए, केवल पहले आरोपी को जिम्मेदार ठहराया, न कि किसी और को। जब उसे महिलाओं के साथ सर्कस में उनके साथ जाने के लिए प्रेरित किया गया, तो वह गांव के बाहरी इलाके में आई और जब उसे कोई नहीं मिला, तो वह अपने गले पर चाकू की नोक पर डर गई और गांव के बाहरी इलाके से तीनों आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गए। एक निर्दोष लड़की के लिए तीन व्यक्तियों का विरोध करना मुश्किल होगा जो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए और वह उनके चंगुल से भागने का प्रयास नहीं कर सकती थी और न ही वह किसी को कोई रिपोर्ट दे सकती थी। स्वाभाविक रूप से, इन परिस्थितियों में उसने खुद को समेट लिया था और अपने भाग्य पर छोड़ दिया था और एक महीने से अधिक समय तक गलत हिरासत में रही। उसके साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि उसे गलत तरीके से अलग-अलग स्थानों पर कैद किया गया था। यहॉ तक कि उसे मूल स्थान पर लाए जाने के बाद भी उसे पहले आरोपी के घर में गलत तरीके से कैद कर दिया गया था। इस प्रकार साक्ष्य धारा 364, 361 के तहत अपराधों के दोष और धारा 342 के तहत सदोष परिरोध के अपराध को भी सामने लाता है। जहॉ तक धारा 376 के तहत अपराध का सम्बंध है, उसके साक्ष्य पर्याप्त है। इसके अलावा हमें संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी मिलती है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जैसे कि पहले आरोपी के अंडरवियर और पीड़िता के पेटीकोट से यह साबित होता है कि पहले आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन सम्बंध बनाए थे। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण उसकी सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता और इसलिए श्री सुशील कुमार जैन का यह तर्क कि वह सहमति देने वाला पक्ष थी, बिल्कुल अविश्वसनीय और असमर्थनीय है। जाहिर है, इन परिस्थितियों में, उसने खुद को और अपने भाग्य के साथ सामंजस्य स्थापित किया था और पहले आरोपी ने यौन सम्बंध बनाए थे और उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत अपराध साबित होता है।

प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय का सजा को घटाकर पहले से ही बिताई जा चुकी अवधि अर्थात् डेढ़ माह तक कम करना सही है ? हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने सजा को कम करके कानूनन गंभीर गलती की है। इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त किया जाता है। पहले आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और उसे धारा 376 के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। समान रूप से, तीनों आरोपियों को धारा 366 के तहत दोषसिद्धि किया जाता है और उनको पॉच साल के कारावास की सजा धारा 366 के तहत और एक साल के कारावास की सजा धारा 342 के तहत भुगतनी

होगी। इसके अलावा, आरोपी को 2,000 रूपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया जाता है और यदि वह भुगतान किया जाता है, तो इसे नाबालिग पीड़िता को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। व्यतिक्रम की दशा में, उसे 3 महीने के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। दूसरे और तीसरे प्रतिवादी-आरोपी को धारा 366 के तहत दोषसिद्धि के अलावा 1,000-1,000 रूपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया जाता है। व्यतिक्रम की दशा में, उन्हें एक महीने के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अगर अदा किया जाता है तो उसे पीड़िता को देने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

जी.एन. अपील स्वीकृत।